# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : [illegible] 14(5) [illegible] बनाम राज्य [illegible]
[illegible] 7/2011

| कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 9-5-18 | पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। सुनवाई हेतु समय चाहते हैं अतः पत्रावली दिनांक 23.05.18 को पेश हो।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर | |
| 23-5-18 | पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30-5-18 को पेश हो।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर | |
| 30-5-18 | पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र 14(5) अस्वीकार किया जाता है। आवंटन दिनांक 13-02-1969 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज होवे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर | |

# न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय), जयपुर।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 07 / 2015

1. लक्ष्मण पुत्र माधो, जाति–जाट, नि0–ग्राम कौथून, तह0–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. हरनारायण पुत्र माधो, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कौथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थीगण,

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र रामसहाय, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कौथून, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
2. रामस्वरूप पुत्र रामसहाय, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कौथून, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर।
3. जयनारायण उर्फ बच्चाराम, पुत्र रामसहाय, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कौथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. मदनलाल पुत्र रामसहाय, जाति–जाट, निवासी–ग्राम कौथून, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. ग्राम पंचायत कौथून जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कौथून, तहसील–चाकसू, जिला –जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

( प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) विरूद्ध आदेश तहसीलदार, चाकसू आवंटन आदेश दि0 13.2.1969 ख0नं0 81 रकबा 15 बिस्वा बहक रामसहाय पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–जाट को निरस्त करने बाबत )।

उपस्थितिः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शिवसिंह चौधरी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद तामील अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।
4. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक ।

**निर्णय** **दिनांकः– 30.05.2018**

ग्राम कोथून की साबिका आराजी खसरा नं0 81 रकबा 15 बिस्वा रामसहाय पुत्र श्री श्योनारायण, जाति–जाट, निवासी–कोथून को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 13.02.1969 को आवंटित की गई है, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री निर्मलकुमार जैन का कथन है कि आवंटन दिनांक 13.02.1969 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित किया गया हैं। खसरा नं0 81 रकबा 15

बिस्वा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आवंटन से पूर्व यदि मौके की रिपोर्ट की जाती तो गलत आवंटन हो ही नहीं सकता था। आवंटित की गई भूमि राजकीय खाते की खड्डेदार भूमि है और इसकी किस्म जमीन गैर–मुमकीन खारडा है और प्रार्थीगण 50 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर काबिज चले आ रहे है तथा अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने का हिस्सा हैं। आवंटित आराजी साबिका खसरा नं0 81 रकबा 15 बिस्वा किस्म जमीन गै.मु. खारडा पर आवंटी अथवा आवंटी के वारिसान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में कब्जा काश्त हैं। आवंटन नियमों के अनुसार प्रथम 1/2 हिस्से की आराजी तथा उसके पश्चात् सम्पूर्ण आराजी पर आवंटी द्वारा काश्त किया जाना आवश्यक है परन्तु आवंटी द्वारा नियमों की पालना अथवा आवन्टी के वारिसान द्वारा कभी काश्त नहीं की है। अतः आवंटन खारिज योग्य है। आवन्टित आराजी के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी नही की गई और वरवक्त आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति का कोरम भी पूरा नहीं था केवल मात्र सरपंच ही उपस्थित था और सरपंच ने ही अपने पद का दुरूपयोग कर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवंटन किया है। वरवक्त आवन्टन रामसहाय भूमिहीन कृषक नहीं था। वादग्रस्त साबिका आराजी ख.न. 81 जिसके हाल ख.न. 375/2579 है, के एकतरफ ख.न. 274/2581 है जिसकी किस्म जमीन गैर–मुमकीन रास्ता है। इसी तरह दूसरी ओर ख.न. 375 स्थित है जिसकी किस्म जमीन गैर–मुमकीन रास्ता दर्ज है। इन दोनों नम्बरों के बीच में वादग्रस्त ख.न. 375/2579 स्थित है जो राजस्व अभिलेख में तो अप्रार्थीगण के नाम है किन्तु इसकी भी किस्म गै.मु. रास्ता ही दर्ज है इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर है कि वादग्रस्त ख.न. रास्ते में दर्ज है तथा रास्ते के रूप में ही उपयोग में आता है। अतः नियमों के विपरीत किया गया आवन्टन निरस्तनीय है। आवंटन दिनांक 13.2.1969 की प्रार्थीगण को पूर्व में कभी भी कोई जानकारी नही थी परन्तु हाल ही में वादग्रस्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व सरकार रास्ते की जमीन में हस्तक्षेप करना चालू किया तथा अपनी खातेदारी बताकर वादग्रस्त आराजी का दिनांक 30.9.2015 को तहसील के कर्मचारियों से सीमाज्ञॉन करवाने का प्रयास किया तब जाकर प्रार्थीगण को अवैध आवंटन की जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने तत्काल नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की और बिना किसी देरी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 13.02.1969 निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का कथन है कि चुनौती अधीन आवंटन आज्ञा दिनांक 13.02.1969 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक श्री निर्मल कुमार जैन का यह कथन गलत है कि विवादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण नही किया गया बल्कि सही तथ्य तो यह है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर निरीक्षण किया गया हैं और भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही आराजी का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता रामसहाय के हक में हुआ हैं आज भी राजस्व अभिलेख में खातेदारी का इन्द्राज हैं और मौके पर कब्जा हैं। आवंटित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 355 दिनांक 28.01.1972 को स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात् आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने पर व मौके पर कब्जा–काश्त होने से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 588 दिनांक 11.05.1981 को विधिवत् तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी में बहैसियत खातेदार–काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया गया है हाल बन्दोबस्त के दौरान भूमि के नवीन खसरा नम्बर 375/279, 273, 274 बनाकर अमल जमाबन्दी में किया गया है। मूल आवंटी की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेख में वारिसान् का नाम अमल दरामद है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही गॉव के निवासी व पडौसी खातेदार–काश्तकार है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आवंटन की प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही जानकारी थी किन्तु द्वेषतापूर्वक अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर वादगस्त आराजी को हड़पने की गरज से 47 वर्ष की एक दीर्ध अवधि के पश्चात् आवंटन को चुनौती दी गई है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन खारड़ा दर्ज है और आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौका देखने के पश्चात् ही आवंटित की गई है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि आवंटन केवल सरपंच द्वारा किया गया है बल्कि सही तथ्य तो यह है कि आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष तहसीलदार द्वारा आवंटन किया गया है। वादग्रस्त आराजी कभी भी राजस्व रिकार्ड अथवा मौके पर गैर–मुमकिन रास्ता नहीं रही है। आवंटन के पश्चात् खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1995 पेज 780 एच.सी., आर.आर.टी. 2018(1) पेज 299, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1433, आर.आर.डी. 2009 पेज 177 व आर.आर.डी. 2001 पेज 126 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही कलक्टर द्वारा आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटी व सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। आवंटन

सद्भाविक रूप से प्राप्त किया गया है और इसे एक समुचित अवधि में चुनौती नही दी गई है। अब जबकि आवंटन के पश्चात् कई दशक की अवधि व्यतीत हो चुकी है और अप्रार्थीगण का सद्भाविक निरन्तर कब्जा–काश्त है। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016(2) पेज 756 (एच.सी.), एस.सी.सी. 2015(3) पेज 695, आर.आर.टी. 2009 पेज 220, आर.आर.टी. 2009(1) पेज 453, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 884 (एच.सी.), आर.आर.टी. 2014(2) पेज 759, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 383 (एच.सी.) आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1430, आर.आर.डी. 1992 पेज 266 व आर.आर.डी. 1993 पेज 596 (एच.सी.) में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि एक दीर्घ अवधि के पश्चात् आवंटन नियमो के अन्तर्गत आवंटन को चुनौती दी जाकर आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। एक रिजनेबल विलम्ब के पश्चात् सद्भाविक कारणो के आधार पर चुनौती दी जा सकती है परन्तु विचारण–प्रकरण में आवंटन को चुनौती दिये जाने का कोई सद्भाविक कारण नही है और 47 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब को न्यायोचित ठहराये जाने का भी प्रार्थीगण के पास कोई आधार नही है। मात्र व्यक्तिगत द्वेषभावना से वादग्रस्त आराजी को हड़पने की गरज से प्रार्थना पत्र 47 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया है जो किसी तकनीकी आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य न होकर प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि आवंटन नियमो के अन्तर्गत किया गया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, 47 वर्ष की एक दीर्घ अवधि गुजर चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी रामसहाय पुत्र श्योनारायण को दिनांक 13.02.1969 को आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष तहसीलदार द्वारा आवंटन किया गया है। तत्पश्चात् जरिये नामान्तरकरण दिनांक 28.01.1972 आवंटी को गैर–खातेदारी स्वीकार की गई है। खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के फलस्वरूप आवंटी के नाम जमाबन्दी में दर्ज है और खातेदार की मृत्यु के पश्चात् वारिसान् के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है अर्थात् खातेदारी दिये जाने से पूर्व किसी आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा आवंटन को चुनौती नही दी गई है। एक दीर्घ अवधि लगभग 46 वर्ष की लम्बी अवधि के

पश्चात् आवंटन को चुनौती दी गई है, जिसमें ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह जाहिर हो कि आवंटन दुष्प्रेरण अथवा कपट से प्राप्त किया गया हो। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का हमारे द्वारा विनम्रतापूर्वक अवलोकन किया गया तो हमारे द्वारा यह पाया गया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त विचारण–प्रकरण में चस्पा होते है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1995 पेज 780 (एच.सी.), आर. आर.टी. 2018(1) पेज 299, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1433, आर.आर.डी. 2009 पेज 177 व आर.आर.डी. 2001 पेज 126 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही कलक्टर द्वारा आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवंटी व सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अन्तर्गत प्राप्त होते है। अतः खातेदारी प्राप्त किये जाने के पश्चात् आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016(2) पेज 756 (एच.सी.), एस.सी.सी. 2015(3) पेज 695, आर.आर. टी. 2009 पेज 220, आर.आर.टी. 2009(1) पेज 453, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 884 (एच.सी.), आर.आर.टी. 2014(2) पेज 759, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 383 (एच.सी.), आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1430, आर.आर.डी. 1992 पेज 266 व आर.आर.डी. 1993 पेज 596 (एच.सी.) में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि एक दीर्ध अवधि के पश्चात् आवंटन को चुनौती दिये जाने के फलस्वरूप निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है और आवंटन को बहाल रखा गया है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो से हम सहमत है। चुनौती अधीन आवंटन 13.02.1969 को किये जाने के फलस्वरूप गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण और गैर–खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण आवंटी के नाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा आवंटन को 47 वर्ष की एक दीर्ध अवधि व्यतीत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में किसी तकनीकी आधार पर आवंटन को निरस्त किया जाना न्याय–संगत नही पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील भाटी)